पत्रावली पेश। वकील वादी एवं पैरोकार सरकार
उप0। पैरोकार सरकार द्वारा कोई और दस्तावेज
आदि पेश नहीं किया। न ही ऐसा तथ्य ही
पेश किया कि प्रकरण जरूरी है ? या नहीं।
पैरोकार सरकार को व वकील वादी को सुना।
वास्ते आदेश 30.9.20 को पेश हो।

30.9.20 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित आये।
प्रक0 का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा
वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी
के नाम पर ग्राम निमाणा तह0 रा0 मण्डी
में खसरा नम्बर 9 की रकबा 1.19 हेक्टर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	भूमि वादी की गैर खातेदारी में दर्ज थी उक्त भूमि वादी को विधिवत आवंटित होकर दाखल किया गया था। वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है, तथा राजस्व विभाग की कार्यवाही से गैर खातेदार दर्ज चला आ रहा है वादी को उक्त भूमि पर गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किया जावे, तथा प्रति० को मदाखलत मजाहमत नहीं करने बावत् पाबंद किया जावे। वाद वादी प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति० को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति० के द्वारा दि. 5.6.18 को जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया कि, वादी गैर खातेदार दर्ज है गिरदावरी अनुसार वादी का मात्र 0.55 हैक्टर भूमि पर ही कब्जा है आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना स्वयं कृषि नहीं की जा रही है पालना नहीं करने अर्थात ख.नं. 9 में बाजूवाले के कब्जा किस्म को छोड़कर शेष में नरेगा योजना की सार्वजनिक तलाई बनी हुई है एवं कार्यालय पत्रांक LR/2016/875 दि०26.2.16 से आवंटी के विरुद्ध आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्ताव श्रीमान्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	~~जिला कलक्टर कोटा को भिजवाया हुआ है।~~ वादी के वादपत्र एवं जवाब आदि के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई। (1) आया वादी को वादग्रस्त भूमि ग्राम निमाना खसरा नं० 9 रकबा 1.19 है० आवंटित होकर कब्जा दिया गया था। जिम्मे वादी (2) आया वादी का वादग्रस्त भूमि रकबा 1.19 है० पर कब्जा है, तथा वादी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की जा रही है। जिम्मे वादी (3) आया वादी वादग्रस्त भूमि का गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित होने का हकदार है। जिम्मे वादी (4) आया वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है। जिम्मे वादी (5) आया वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा मात्र 0.55 हेक्टर पर ही है। बकाया पर मेगा योजना के तहत तलाई बनी हुई है। जिम्मे प्रतिवादी (6) आया वादी के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु आवंटन निरस्तीकरण नियम 14(4) के तहत प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को भिजवाये जा चुके हैं। अतः दावा काबिल खारिज है। जिम्मे प्रति० (7) अनुतोष बाद कायमी तनकियात पक्षकारान को अपने-अपने साक्ष्यादि प्रस्तुत करने के [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	अवसर दिया। दौरान साक्ष्य वादी द्वारा स्वयं का शपथ-पत्र, नकल जमाबंदी ग्राम निमाना 2068-71 खाता नम्बर 279 प्रदर्श-1, नकल खाता नं. 362 ग्राम निमाना सं. 2072-75 नकल खसरा गिरदावरी ग्राम निमाना 2071-74 तथा प्रतिo द्वारा रिपोर्ट नायब तहसीलदार दि. 24.1.17, नकल जमाबंदी, नकल नक्शा एवं नकल खसरा गिरदावरी ग्राम निमाना प्रस्तुत की साथ ही तहसील के पत्रांक उ.का./स्था./2016/875 दि. 26 फरवरी 2016 मय सूची (प्रति) प्रस्तुत की। बाद साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता वादी एवं पेशकार साहब को सुना गया। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है, कि वादी का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 91 रकबा 1.19 हे. भूमि पर कब्जा था वर्तमान में गरीब वादी की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा कुछ भाग पर अवैध तलाई खोद दी है बाद में अपने कार्य को अवैध किया था उसे छिपाने के लिये तहसील से वादी के आवेदन का निरस्त करने की कार्यवाही करवा दी। वादी का बकाया भूमि पर आज भी कब्जा है, यह बात प्रतिवादी ने जवाब में भी स्वीकार है, तथा रिपोर्ट नायब तहसीलदार ने भी स्वीकार किया है। खसरा गिरदावरी में तो 0.55 हे0	

(हस्ताक्षर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि पर वादी की कलम लिखी हुई थी वादी का गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करवाया जावे। तलाई के अलावा जितना वादी का बनता है, उतने पर ही खातेदारी दी जावे।	
	इसके विपरीत पैरोकार सरकार का कथन है, कि कब्जा नहीं था तथा उस भूमि पर सार्वजनिक तलाई बनी है। प्रकरण में 14(4) की कार्यवाही की हुई थी अतः दावा खारिज करमाया जावे।	
	रिपीट में विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है, कि प्रतिवादी का दावा पहले से चल रहा है, तथा आवेदन निरस्तीकरण की कार्यवाही बाद में की गई है। दावा सन् 2015 से चल रहा है, जबकि आवेदन निरस्तीकरण की कार्यवाही 2016 में जबान तलाई खुदवा कर मिलवाई है। 14(4) की कार्यवाही दावे से बाद की होगी। प्रकरण वहाँ किस स्तर पर है, तथा क्या कार्यवाही चल रही है, कोई दस्तावेज नहीं है। वादी को आज तक उक्त प्रकरण का नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो यह कैसे मान लिया जाय कि कार्यवाही चल रही थी। 2016 से 2020 तक वादी को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। अतः दावा वादी स्वीकार किया जावे।	
	बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया गया।	
	[signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वादी के वादपत्र के कथन, वांछित अनुतोष, प्रति० के जवाब, उभयपक्ष के दस्तावेज, रिपोर्ट नायब तहसीलदार राव मण्डी, एवं बहस उभय: पक्षकारान पर सम्यक विचार किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।
	तनकी नम्बर 1:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा स्वयं के शपथ-पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत किया। प्रति० गण वादी को वादग्रस्त भूमि के आवंटन नहीं होने बाबत कोई कथन नहीं किये इसके विपरीत क्रमांक 875 दि. 26.2.2016 से वादी को आवंटित भूमि के आवंटन को नियमित करने का प्रस्ताव भिजवाया है। इसका तात्पर्य है, कि वादी को वादग्रस्त भूमि विधिवत् आवंटित की गई थी।
	अत: यह तनकी बहक वादी तय की जाती है।
	तनकी नम्बर 2:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा स्वयं बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये है। वादी का कथन है, कि वाद प्रस्तुत करने के बाद वादी की भूमि पर तलाई खुदवा दी गई थी तलाई सार्वजनिक है। तथा रिपोर्ट नायब तहसीलदार अनुसार 0.48 हे. पर सार्वजनिक तलाई बनी है, तथा 0.06 हैक्टर भूमि रास्ते

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के कब्जे में मानी आ रही है। तहसीलदार रामगंजमण्डी अपने जवाब में वादी की कृषि पर उसका कब्जा 0.55 हेक्टर पर स्वीकार करते है। खसरा गिरदावरी में 0.55 हेक्टर पर काश्त दर्ज है। वादी का सोटेन बयान यह भी कथन है, कि तलाई के निर्माण के बाद समीप वाले खातेदारों ने तलाई की आड़ में बची कृषि पर कब्जा कर लिया है। वादी की तलाई के बाद व रास्ते के बाद 0.65 हे. कृषि बचती है। प्रकरण में यह तथ्य है, कि वादी का मात्र 0.55 हेक्टर कृषि पर कब्जा है, तथा तलाई 0.48 + रास्ता 0.06 कुल 0.54 हेक्टर के अतिरिक्त 0.10 हेक्टर कृषि को खसरा नं० 10 व 15 के समीपस्थ खातेदार उमराव प्रेमचंद व सालूराम द्वारा दबाया हुआ है इस प्रकार 0.54 हेक्टर कृषि पर वादी का कब्जा नहीं होना स्वीकृत है अर्थात वर्तमान में 0.54 हेक्टर कृषि पर वादी का कब्जा नहीं है अतः यह तनकी इसी प्रकार अंशतः बहक वादी तय की जाती है। तनकी नम्बर 3:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी की वादग्रस्त कृषि आवंटित होना, तथा 0.55 हेक्टर कृषि पर वादी द्वारा काश्त किया जाना प्रमाणित है 0.10 हेक्टर कृषि पर अन्य पड़ोसी खातेदारान का कब्जा जाहिर आता है अतः वादी की वादग्रस्त कृषि रकबा 1.19 हेक्टर कृषि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पर खातेदार दर्ज नहीं किया जा सकता। 0.48 हेक्टेयर भूमि पर सार्वजनिक तालाब का निर्माण कार्य किया जा चुका है, तथा 0.06 हेक्टेयर भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में प्रयोग आ रही है।
	इस प्रकार उक्त रकबे को उक्त प्रयोजनार्थ ही रखा जाना उचित प्रतीत होता है। बकाया रकबा 0.65 हे. पर वादी को खातेदारी घोषित किया जाना उचित पाया जाता है।
	अतः यह तनकीह अंशतः बहक वादी तय की जाती है।
	तनकीह नम्बर 4:— इस तनकीह को सिद्ध करने का भार वादी पर था। तनकीह नम्बर 1 व 3 के विवेचन तथा विश्लेषण के आधार पर वादी वादग्रस्त भूमि ग्राम सिसाना खसरा नम्बर 9 रकबा 0.65 हे. का खातेदार घोषित होने की योग्यता रखता है। तदनुरूप ही वह आसामी वह प्रतिवादी या अन्य के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार प्रतीत होता है। अतः यह तनकीह इसी हद तक बहक वादी तय की जाती है।
	तनकीह नम्बर 5:— इस तनकीह को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा पूर्व वर्णित रिपोर्ट आदि भी प्रस्तुत किये है। खसरा गिरदावरी में वादी 0.55 हेक्टर भूमि पर ही काबिज है। अवाव में भी यही तथ्य अंकित किये है। 0.48 पर सार्वजनिक तालाब तथा 0.06 हेक्टर भूमि पर सार्वजनिक रास्ता होना अंकित है। बकाया 0.10 हेक्टर भूमि पर ख॰नं॰ 10 व 15 के खातेदारान के द्वारा किस आधार पर अवरोध कारित किया। प्रतिवादी द्वारा वादी के स्वत्व को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? वादी अनु॰ जाति का व्यक्ति है, जिसकी भूमि पर किसी अन्य का खातेदारी स्वत्व प्रोद्भूत नहीं हो सकती प्रकरण में हासिया नम्बर 0.55 हेक्टर पर वादी काबिज है। यह तथ्य एडमिटेड फैक्ट है, तथा रिकॉर्ड से भी प्रमाणित है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी तय की जाती है। तनकी नम्बर 6:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा राज॰ सीक्र कामीक पत्रांक 895 दि॰ 26 फरवरी 2016 की प्रति प्रस्तुत की है। उक्त पत्र के साथ संलग्न सूची में क्रम संख्या 54 पर वादी का आवंटित भूमि का प्रकरण भी है। अर्थात वादी के विरुद्ध आवंटन नियम 14(4) की कार्यवाही जिला कार्यालय में चलवाई हुई है। इस पर वादी का कथन है, कि प्रथम तो यह कार्यवाही दावा दायरी के बाद की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	है, तथा अभी तक वादी को इस बावत कोई सूचना जिला कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई थी नोटिस भी प्राप्त नहीं हुये थे। प्रकरण में पेशकार साक्षर द्वारा भी कथन किये कि जिला कार्यालय में इस प्रकरण पर क्या कार्यवाही हुई है, क्या नहीं ? यह जानकारी नहीं है। प्रकरण निस्तारण हो चुका है या नहीं कोई सूचना भी जिला कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई थी। प्रकरण सन् 2015 से इस न्यायालय में लंबित है, तथा आवंटन निरस्तीकरण के प्रस्ताव सन् 2016 में भिजवाये गये थे। अतः 14(4) की कार्यवाही पश्चातवर्ती प्रक्रिया थी। प्रकरण में एक तरफ तो कब्जा नहीं होने से नियम 14(4) की कार्यवाही करना अंकित करते है, वहीं खसरा आरे 0.55 हेक्टर भूमि पर कब्जा होना स्वीकार भी करते थे। आवंटन निरस्तीकरण के प्रस्ताव भेज देने मात्र से किसी के खातेदारी स्वत्व का अवसान नहीं होता है। क्योंकि अभी तक जिला कार्यालय में प्रकरण किस स्तर पर विचाराधीन है। या विनिश्चय हुआ या नहीं। कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी वादी की गैर खातेदारी की भूमि के कुछ भाग पर सार्वजनिक तलाई के खोदे जाने से भी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी को वाद प्रस्तुत का स्वत्व की घोषणा से वंचित नहीं किया जा सकता। क्योंकि वादी का एक आक्षेप यह भी है कि यदि वादी की भूमि पर तलाई बना दी तो उसकी किस्म क्यों नहीं बदली? वादी की भूमि पर सार्वजनिक तलाई बना देने से वादी का उस पर कब्जा नहीं है, यह प्रमाणित व स्वीकृत तथ्य है, परन्तु यह भी वादी को वाद लाने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता। अतः यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी बहक वादी तय की जाती है। तनकी नम्बर 7:— तनकी नम्बर 1 से 6 के विवेचन तथा विश्लेषण के आधार पर यह पाया जाता है कि वादी को आवंटित भूमि खसरा नं. 9 रकबा 1.19 हे० का आवंटन निरस्त कर दिया है ऐसा प्रमाणित नहीं है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर 0.55 हेक्टर भूमि पर कब्जा है, तथा 0.48 हे. पर सार्वजनिक तलाई है, तथा 0.06 हे. पर सार्वजनिक रास्ता व इस प्रकार 0.10 हेक्टर भूमि पर समीपस्थ अन्य खातेदारान का कब्जा है। समीपस्थ अन्य खातेदारान S.T. वर्ग के सदस्य हैं, जिन्हें किसी भी हालत में वादी की भूमि पर स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकते। इस प्रकार वादी की भूमि से समीपस्थ खातेदारान प्रेमचंद	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	व साजूलाल को बेदखल करवा कर कब्जा वादी एवं 0.55+0.10 = 0.65 हेक्टर भूमि का खातेदार घोषित होने का हकदार है। 0.54 हेक्टर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की है, इस कारण उसे (0.48 तलाई तथा 0.06 रास्ते की) कुल 0.54 हेक्टर सिवाय-चक दर्ज किया जाना उचित पाया जाता है।
	अतः गुणावगुण के आधार पर वाद वादी अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि वादी को ग्राम सिमाना की भूमि खसरा नम्बर 9 कुल रकबा 1.19 हेक्टयर में से 0.65 हेक्टर भूमि का गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि हिस्सा 0.10 हे. पर से प्रेमचन्द व साजूराम को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे। उक्त भूमि का 0.54 हेक्टर रकबा सिवाय-चक सरकार दर्ज किया जावे। राजस्व रिकार्ड में अमल हो। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो।
	निर्णय आज दिनांक 30/09/2020 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया।
	(देशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

Judl/Civil
Part V-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~इब्तदाई~~

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'–1)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी — मुकाम — रामगंज मण्डी

व इजलास — देशल दान (I.A.S.)

— बापूलाल — बनाम — सरकार

दावा बाबत — 88, 89, 188 R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं. — 40 — सन् — 2015

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू — देशल दान (I.A.S.)

बहाजरी — श्री डी.डी. शक्तावत एड. — मिनजानिब मुद्दई व — पैरोकार सरकार

— मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वाद वादी अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि वादी को
ग्राम निमाना की कृषि ख.न. 9 कुल (नया) 1.19 हैं. में से 0.65 हैं. भूमि का खाते
खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि हिस्सा 0.10 हैं. पर
से प्रेमचन्द व सत्यूराम को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे। उक्त कृषि
का 0.54 हैं. रकबा सिवायचक सरकार दर्ज किया जावे। रिकार्ड में अंकन हो।

चीज — ✗ — मुबालिग — ✗ — बाबत — ✗

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह — ✗ — फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक — ✗ — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख — 30 — माह — 09 — 2020.

को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत — (हस्ताक्षर)
ओहदा — उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान ...	—	—
मीजान....	—	—			

नोट:- इस खत्रे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा. मु. जो. 139-2009-1,00,000 फार्म

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी